

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 1982/कार्तिक 15, 1904
No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 1982/KARTIKA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1982

सं० एस-16025/3/82-एल० डब्ल्यू० — भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 1, खण्ड 1, तारीख 15 जून, 1982 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या एस/16025/3/82-एल० डब्ल्यू० तारीख 14 जून, 1982 में आशिक सशोधन करने हुए केन्द्रिय सरकार श्री सी० एस० मलिक और श्री बी० पी० डाग के स्थान पर क्रमशः श्री जै० एस० आशाद और श्री के० के० मित्रा को भारतीय रेलों के लोको श्रेष्ठों में कोचला और राज्य संचालन कार्य में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित समिति के सदस्य के रूप में नामित करना है और निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात्

उक्त संकल्प में क्रम सं० 3 और 4 तथा इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों में क्रमशः निम्नलिखित
रखा जाए, अर्थात्:—

3. श्री जे० एस० आज़ाद,
संयुक्त निदेशक,
मैकेनिकल इंजीनियरी (फ्यूल),
रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली

सदस्य

4 श्री के० के० मित्रा,
संयुक्त निदेशक वित्त (स्थापना),
रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली।”

सदस्य

सदस्य मित्रा, सह-निदेशक,
(अम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th November, 1982

No. S-16025/3/82-LW.—In partial modification of the Ministry of Labour Resolution No S/16025/3/82-LW, dated 14th June, 1982, published in Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-I, dated the 15th June, 1982, the Central Government hereby nominates Shri J. S. Azad and Shri K. K. Mitra as members of the Committee to consider the question of abolition of contract labour system in coal and ash handling work in loco sheds of the Indian Railways, vice Shri C. M. Malik and Shri V. P. Dang respectively, and makes the following amendments, namely:—

In the said Resolution for serial numbers 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely:—

“3. Shri J.S. Azad,
Joint Director,
Mechanical Engineering (Fuel),
Ministry of Railways,
(Railway Board),
New Delhi.

MEMBER

4. Shri K.K. Mitra,
Joint Director,
Finance (Establishment),
Ministry of Railways,
(Railway Board),
New Delhi.

MEMBER

LAKSHMIDHAR MISHTRA, Director Genl. (Labour Welfare)